पत्र संख्या-वैट-(07-08)-परिपत्र - **596** / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(वैट अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: फरवरी 13, 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वैट व्यवस्था दिनांक 1-1-2008 से लागू होने पर नये पंजीयन प्रार्थनापत्रों की संख्या मेंअभूतपूर्व ढंग से वृद्धि हो रही है और पंजीयन प्रार्थनापत्र के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से पंजीयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली तथा अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्यालय से परिपत्र संख्या-427, दिनांक 6-12-07; परिपत्र संख्या-472, दिनांक 25-12-07; परिपत्र संख्या-495, दिनांक 8-1-08 तथा परिपत्र संख्या-512, दिनांक 14-1-08 जारी किये गये जिनमें पंजीयन के समय व्यापारियों को आने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए पंजीयन प्रार्थनापत्र के निस्तारण की प्रक्रिया सरल की गयी है।

मेरे द्वारा कई जिलों में विभिन्न व्यापारिक संगठनों तथा अधिवक्ता संघों से वार्ता करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि या तो अधिकारीगण मुख्यालय के निर्देशों को भली-भांति पढ़ नहीं रहे हैं या उन्हें परिपत्रों की प्रतियॉ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जिसके कारण प्रक्रियात्मक शिकायतें बहुत प्राप्त हो रहीं हैं। इस प्रकार जिस उद्देश्य से पंजीयन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है वह उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रहीं है। अतएव उपरोक्त परिपत्रों द्वारा जारी किये गये निर्देशों के सारांश को पुन: निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :-

2- निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों में से किन्हीं एक की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है :-

a. स्वयं मकान स्वामी होने की दशा में मकान के पंजीकृत प्रपत्र या जलकर, गृहकर या अन्य अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो तथा किराएदार होने की दशा में लीज डीड की प्रति।
b. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत विद्युत बिल
c. तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
d. सम्पत्ति कर रसीद अथवा टेलीफोन बिल की प्रति
e. ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र / किसान बही की प्रति / अन्य राजस्व अभिलेख।

3- व्यापार स्थल / शाखा / गोदाम / कार्यशाला के पते के सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों में से किन्हीं एक प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।

a. व्यापार स्थल स्वामी होने की दशा में स्थल के पंजीकृत प्रपत्र या जलकर, गृहकर या अन्य अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो तथा किराएदार होने की दशा में लीज डीड की प्रति
b. तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
c. उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र
d. उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा जारी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र / बिजली का बिल
e. पैतृक सम्पत्ति के मामले में परिवार के किसी सदस्य, जिसके नाम सम्पत्ति है, से संबंधित गृहकर, जलकर या इस प्रकार का अन्य कोई अभिलेख जिससे स्वामित्व प्रमाणित होता हो।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहॉ पर भवन किराये पर लिये गये हैं वहॉ पर एक वर्ष से कम की किरायेदारी होने पर लीज डीड का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-12-/ग्यारह-2-2007, दिनांक 31-1-07 जारी किया गया था जिसे मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि 3(2)ससामान्य जनरल-36(2005-06) से 2006-07/1771/व्यापार कर, दिनांक 2-2-07 द्वारा प्रसारित किये गये थे। इसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि एक वर्ष से अधिक के किरायेनामे का निबन्धित होना अनिवार्य है। **रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 के अन्तर्गत यदि किरायेदारी एक वर्ष से कम अवधि की है तो निबन्धित होना अनिवार्य नहीं है।**

5. फार्म VII जो प्रभावी किया गया है उसमें बहुत से कालम ऐच्छिक हैं, जो कालम ऐच्छिक हैं उनमें कालम 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 तथा परिचयकर्ता के कालम शामिल हैं। यह कालम यदि अपूर्ण भी रहते हैं तो भी फार्म सात अस्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6. जहॉ तक बैंक खाते का प्रश्न है, इसकी कोई भी श्रेणी हो सकती है। जैसे - चालू खाता, बचत खाता या अन्य। स्वामित्व की स्थिति को छोड़कर सभी मामलों में खाते का फर्म के नाम होना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यापारी को दिया जाने वाला रिफंड ट्रेजरी द्वारा **'एकाउन्ट पेयी चेक'** के माध्यम से सीधे व्यापारी के खाते में क्रेडिट किया जायेगा। चूंकि प्राविधानों के अनुसार रिफंड डीलर को ही दिया जाता है अतएव खाता फर्म (डीलर) के नाम होना आवश्यक है।

7. जहॉ तक मोबाइल नम्बर का प्रश्न है, विभाग द्वारा कई ऐसी योजनाऐं लागू की जा रही हैं जिनमें आवश्यक सूचनाओं को एस0एम0एस0 के माध्यम से व्यापारी को दिया जायेगा। इसलिए यदि व्यापारी अपना मोबाइल नम्बर देता है तो सूचना एस0एम0एस0 से देने में सुविधा होगी। जैसे - पंजीयन प्रार्थनापत्र के निस्तारण का स्टेटस क्या है ? यदि कोई अन्य प्रार्थनापत्र दिया है तो उसके निस्तारण की स्थिति आदि सूचनाऐं उपलब्ध कराई जा सकेगी।

8. इसी प्रकार टेलीफोन नम्बर, ई-मेल एड्रेस या फैक्स नम्बर देने से भविष्य में सूचनाओं के प्रेषण आदि में भी सहायक होगी। यह सभी सूचनाऐं व्यापारी को सुविधा देने के उद्देश्य से ली जा रही हैं। यदि व्यापारी यह नम्बर नहीं भी भरता है तो भी उनका प्रार्थनापत्र अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या-665, दिनांक 7-2-08 द्वारा **ट्रेड कोड** जारी किया गया है जिसकी प्रति विभागीय वेब-साइट पर भी उपलब्ध है और सभी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को भेजी जा चुकी है। इसकी प्रतियॉ पर्याप्त संख्या में छपवाकर सभी अधिकारियों / कर्मचारियों, अधिवक्ता संघों, व्यापारिक संगठनों आदि को भी उपलब्ध करा दी जायें। हेल्प डेस्क पर भी प्रतियॉ उपलब्ध रहनी चाहिए फार्म-XI जारी करते समय क्रमांक-2 पर description of goods के स्थान पर **ट्रेड कोड** लिखा जायेगा। तद्नुसार फार्म -XI में संशोधन कर लिया जाये।

10. मुख्यालय स्तर से इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि हेल्प डेस्क पर उपस्थित अधिकारी का यह दायित्व है कि यदि कोई व्यक्ति पंजीयन कराने के उद्देय से कार्यालय आता है तो उसे फार्म भरने की प्रक्रिया समझायें और जो कठिनाई हो उसे दूर करें। यदि कोई कालम अपूंर्ण है जैसे HSN कोड नही लिखा गया है तो उसे स्वयं उसी समय भरवाने में सहयोग करेंगे। इस कार्य को पूर्ण निष्ठा और लगन से सम्पादित किया जाये।

11. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ज्वाइन्ट कमिश्नर का यह दायित्व है कि वे पंजीयन प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली की निरन्तर समीक्षा करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि पंजीयन प्रकोष्ठ में उपलब्ध अधिकारी व्यापारियों को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हुए पंजीयन प्रार्थनापत्र को पूर्ण करने में उनकी सहायता करें।

12. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सभी ट्रेड संगठनों से वार्ता करके उन स्थानों को जहॉ पर अधिक संख्या में व्यापारी पंजीयन कराना चाहते हो, को चिन्हित करते हुए ऐसे स्थानों पर पंजीयन कैम्प आयोजित करायें। इसकी पूर्व सूचना व्यापारियों एवं व्यापारिक संगठनों को दे दी जाये। फार्म -VII पर्याप्त मात्रा में वितरित किये जायें और यदि डिजीटल कैमरा उपलब्ध न हो तो उसे किराये पर ले लिया जाये और उसी समय व्यापार स्थल की जांच कर ली जाये व फोटो ले ली जाये तथा ऐसे प्रार्थनापत्रों का निस्तारण 7 दिन में निश्चित रुप से कर दिया जाये। प्रत्येक छोटे कस्बों या बाजार में कैम्प करा करके अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत किया जाये।

13. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पंजीयन प्रार्थनापत्रों के निस्तारण में विलम्ब न हो क्योंकि वैट के अन्तर्गत जितने अधिक व्यापारी पंजीकृत होंगें उतनी अधिक राजस्व की प्राप्ति सम्भव होगी। इसलिए आवश्यक है कि इस कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से पूरा किया जाये।

14. यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि नये पंजीयन प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर व्यापारियों को सात दिन के अन्दर बायोमेट्रिक डाटा तथा मूल कागजातों के सत्यापन हेतु न बुलाकर इस अवधि के बाद की तिथि दी जा रही है तथा प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर उसका डाटा कम्प्यूटर पर समय से फीड नहीं किया जा रहा है और जांच होने पर भी जांच रिपोर्ट कम्प्यूटर में फीड नहीं की जा रही है जिससे सुनवाई की नियत तिथि को सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाती है तथा व्यापारी को दुबारा आने के लिए तिथि देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि "**बैंक**

एण्ड आफिस" को सक्रिय किया जाये तथा सुनवाई के पूर्व ही सभी सूचना कम्प्यूटर पर फीड कर लिये जायें ताकि व्यापारी को सुनवाई हेतु बार-बार कार्यालय न आना पड़े। कार्यालय में उपलब्ध सभी कम्प्यूटर चाहे वह अधिकारी के पास हो या कर्मचारी के पास हों, सभी का प्रयोग किया जाये, जिससे डाटा फीडिंग का कार्य तत्परता से किया जा सके। यहाँ पुन: स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली के नियम-32 (7) में दी गयी समय सीमा का पूर्णत: अनुपालन किया जाये। भविष्य में यदि दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया तो पंजीयन प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी के साथ-साथ ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उत्तरदायी मानते हुये उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

15. व्यापार स्थल की जांच के समय व्यापार स्थल की डिजिटल कैमरे से फोटो लिये जाने के साथ-साथ निरीक्षण से पाये गये तथ्यों का अंकन निर्धारित प्रारुप जो इस पत्र के साथ संलग्न है में ही किया जाये तथा जांचोपरान्त डिजिटल कैमरे से लिये गये फोटो के तथ्य कम्प्यूटर में निर्धारित प्रोफार्मा में फीड किये जाये एवं उसका प्रिन्ट आउट लेकर जांच अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर सहित प्रोसेसिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

16. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फार्म XXI, फार्म XXXI, फार्म XXXVIII एवं फार्म XXXIX को छोड़कर शेष किसी फार्म का कोई मूल्य नहीं रखा गया है। पंजीयन में प्रयुक्त होने वाले फार्म VII, VIII सहित शेष सभी फार्मों का वितरण नि: शुल्क किया जाना है। ऐसे फार्मों की पर्याप्त प्रतियों की उपलब्धता हेल्प डेस्क पर सुनिश्चित की जाये और नि: शुल्क व्यापारियों को उपलब्ध कराया जाये।

17 दिनांक 1-1-08 से पहले पंजीकृत व्यापारी जिन्हें फार्म VIII के साथ फार्म VII जमा करना है उन्हें कालम 21, 22, 23 भरना आवश्यक नहीं है तथा कालम 15 में पंजीयन प्रभावी होने का दिनांक अंकित किया जाये।

18- कई कार्यालयों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि कम्पनी के मामलों में सभी निदेशक का बायोमेट्रिक डाटा लेना है या किसी एक का। नियम 32 के उपनियम (6) के टेबुल में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो पंजीयन प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं। इन्हीं से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र के साथ एनेक्जर -ए संलग्न किया गया है जिसमें प्रोपराइटर / पार्टनर्स / एच0यू0एफ0 का कर्ता / कम्पनी के निदेशक मंडल के द्वारा अधिकृत निदेशक या अन्य अधिकृत व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट है कि साझीदारी के मामलों में सभी साझीदारों का, एच0यू0एफ0 के मामले में कर्ता का तथा कम्पनी के मामले में निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत निदेशक या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति का बायोमेट्रिक डाटा लेना है। कम्पनी के मामले में यह भी देख लिया जाये कि अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार अधिकृत किया गया हो तथा उसकी सूचना नियमानुसार रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज़ को दी गयी हो।

19- व्यापार बन्द होने के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों की जांच की कार्यवाही तथा पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही पंजीयन प्राधिकारी द्वारा की जायेगी एवं उसका निस्तारण एक सप्ताह में करके उसकी सूचना सम्बन्धित खण्डाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

20- इसी प्रकार जिन मामलेां में वैट अध्यादेश की धारा 17 (14) लागू होती है उन मामलों में भी कार्यवाही पंजीयन प्राधिकारी द्वारा ही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक एवं कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में)।
4. अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।

5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
7. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
9. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
10. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
11. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
12. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन, सेक्टर-10, नोयडा।
13. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर, गाजियाबाद
14. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद।
15. मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियाँ।
16. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियाँ।
17. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
19. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ
20. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
21. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर
22. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
23. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
24. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
25. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4/180, विशाल खण्ड,पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ।
26. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
27. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
28. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
29. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
30. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।
31. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
32. शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
33. श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
34. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
35. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
36. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
37. श्री बी0एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0 पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

38. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।
39. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
40. श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा।
41. श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर।
42. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
43. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद।
44. श्री शैलेश मिश्रा, महामँत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर।
45. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
46. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
47. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
48. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर।
49. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
50. श्री दिनेश आरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
51. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
52. श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।
53. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पॅजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
54. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
55. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
56. श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0 रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
57. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097 ।
58. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
59. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0 लखनऊ।

Survey Detail

Serial No. :

Receipt Number	:			
Office Area (Sector)	:			
Officer Name	:			
Designation	:			
Number of employee	:			
Stock	:			
Number of Machinery if any	:			
Date of Survey	:	dd/mm/yyyy		
Details of Raw material	:	1-	2-	3-
		4-	5-	6-
		7-	8-	9-
		10-	11-	12-
		13-	14-	15-
Capacity of Electric Meter	:			
Address of Principle place of Business	:			
Name of the Person Present	:			
Account Book	:	1-	2-	3-
	:	4-	5-	6-
Situation of Business Place	:		Boundaries	
			North :	
			South :	
			East :	
			West :	
Survey of Branch/ HQ	:			
If Security Required	:	Yes ( ) No ( )		
Remarks	:			

Officer's Recommendation: Yes ( ) No ( )

Name:
Designation of the Officer: